राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

सांसद बनकर अति. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

जयपुर, 5 दिसम्बर। पुलिस आयुक्त, जयपुर श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 27.11.2017 को परिवादी श्री गिरीश पाराशर S/O मूलचन्द पाराशर जाति ब्राह्मण उम्र 54 साल निवासी F 22 E सुमेरनगर विस्तार वीटी रोड के सामने मानसरोवर थाना मुहाना जयपुर अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये निदेशालय स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग जयपुर ने एक अभियोग इस आशय दर्ज कराया कि दिनांक 23.11.17 को दोपहर करीब 01.30 बजे अपने आफिस में राजकार्य निपटा रहा था तभी अपने किसी कार्य के बाबत सेवारत चिकित्सक संघ की संयुक्त सचिव ड. आशा लता प्रार्थी के पास आफिस में आई और अपने किसी कार्य के ना होने की शिकायत प्रार्थी से की जिस पर प्रार्थी द्वारा डॉ. आशा लता को बैठने हेतु आग्रह किया गया और जल पिलवाया गया और प्रार्थी द्वार तुरन्त सम्बन्धित क्लर्क से ड. आशा लता की पत्रावली मंगवाकर कार्य को समझने का प्रयास करने लगे तो . आशा लता जोर जोर से बोलकर व्यवधान किया गया । प्रार्थी द्वारा उन्हे कई बार समझाया गया परन्तु वो सुनने को तैयार हुई व बार बार व्यवधान करने लगी इसके बाद प्रार्थी अपने किसी सरकारी कार्य से सचिवालय चले गये। करीब 03.15 बजे प्रार्थी पुनः अपने आफिस आये तो उस समय डॉ. आशा लता प्रार्थी के कार्यालय मे 15, 20 लोगों के साथ मिली और पुनः जोर जोर से कुछ बोलने लगी तब प्रार्थी द्वारा उन्हे पुनः समझाने का प्रयास किया गया और कहा कि आपका कोई भी काम मेरे स्तर पर पैंडिंग नही है फिर भी मैं अपने स्तर पर आपकी समस्या को जल्दी दूर करवाने का प्रयास करूंगा इसके बाद जब डॉ. आशा लता प्रार्थी के आफिस से चली गयी तो करीब 4 बजे प्रार्थी के मोबाईल न. 9414237046 पर एक अनजान मोबाईल न. 9927041009 से फोन आया। जब प्रार्थी ने फोन उठाया तो फोन करने वाले व्यक्ति ने प्रार्थी से बेहद अपमानजनक एवं गाली गलौच की भाषा का प्रयोग किया व अपने आपको सांसद बताते हुये प्रार्थी को देख लेने की धमकी । जिस पर मु.नं. 412/17 धारा 353, 506,507,504,419,384 IPC 66 D, 66B IT ACT में दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी अशोक नगर श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा. जयपुर द्वारा शुरू किया गया।

इस प्रकरण में थानाधिकारी अशोकनगर श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, थानाधिकारी सोडाला श्री सुनील प्रसाद, हैडकानि रामचन्द्र, कानि. झाबरमल, स्पेशल ब्रांच के हैडकानि रामवीर, विक्रम तथा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने अभियुक्त द्वारा किये गये मोबाईल कॉल्स की कैफ की जांच की तो कैफ फर्जी पाई गई। तकनीकि विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त के निवास की जानकारी प्राप्त कर अभियुक्त के निवास पर दबिश दी गई तो अभियुक्त का स्वास्थ्य भवन, भरतपुर जाना ज्ञात हुआ। लोक सेवक को धमकी देने व गाली–गलौच करने वाले अभियुक्त डॉ. मनीष चौधरी पुत्र श्री हरवीर सिंह, निवासी 183 इन्दिरा नगर हीरादास थाना अटलबन्द जिला भरतपुर को थानाधिकारी अशोकनगर श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। डॉ. मनीष चौधरी, वर्तमान में एडीशनल सी.एम.एच.ओ. भरतपुर के पद पर कार्यरत हैं तथा भरतपुर एक प्राईवेट अस्पताल का संचालन भी करवा रहे हैं। अभियुक्त से प्रकरण हाजा मे अनुसंधान जारी है।